भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3758
18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत उपलब्ध कारए जा रहे खाद्य का गुणवत्ता नियंत्रण

3758. श्रीराजीव राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या गुणवत्ता में कमियों के मामलों में शिकायतें दर्ज कराने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हां। भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद से लेकर वितरण तक के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सरकार ने एक गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार और जारी किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने देश में विभिन्न स्थानों पर 11 गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे औरसंग्रहीत खाद्यान्नों का निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच और रखरखाव के लिए अपनी आंतरिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली भी है। इस उद्देश्य के लिए एफसीआई द्वारा एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) भी विकसित और कार्यान्वित की गई है।

...2/-

(ग) एवं (घ): जब भी जांच/निरीक्षण के दौरान खाद्यान्नों के समान विनिर्देशों में उल्लिखित गुणवत्ता मापदंडों से कोई परिवर्तन पाया जाता है, तो गुणवत्ता मैनुअल के अनुसार प्रतिकारक कार्रवाई की जाती है और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

(ड.) और (च): सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने और संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला संख्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू है। इसके अलावा, खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) नियमित रूप से ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निवारण बैठकें भी आयोजित करता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

*****